15/1/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप.। विपक्षी के समक्ष बाद तामील प्राप्त। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण संख्या 168/22 में दिनांक 09/10/23 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर प्रा.पत्र पुनः नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया कि मूल प्रकरण संख्या 168/22 अनवान बेबीलाल बनाम कानोड़ में दिनांक 09/10/23 को प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना-पत्र अवधि के अंदर पेश किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार पेशी दिनांक पर प्रार्थी की पत्नी बीमार होने से एवं उसकी तिमारदारी में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया जिससे मूल प्रार्थना पत्र को पुनः ... पर लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 16:31:27 IST
Reason: SelfAttested

जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थी पेशी दिनांक 09/10/23 को अनुपस्थित रहा जो प्रार्थी की लापरवाही का द्योतक है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 9 C.P.C. का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

÷ आदेश ÷

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र सं. 168/22 अन्तर्गत बंशीलाल बनाम तहसीलदार कानोड़ में आदेश दिनांक 09/10/2023 को अपास्त किया जाकर मूल प्रार्थना-पत्र को नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली असल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 16:31:27 IST
Reason: SelfAttested